



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235639
CG-DL-E-07052022-235639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]
No. 327]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

नागर विमानन मंत्रालय
(वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

सा.का.नि. 342(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो में महानिदेशक, निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक और सुरक्षा अन्वेषण अधिकारी के पद पर नियुक्ति की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (समूह 'क') भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना** – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसके संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहर्ता: वह व्यक्ति-**
 - जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह की संविदा की है; या
 - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. महानिदेशक - वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो	01(2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसन्धिवीय	स्तर 14 (रुपए 144200-218200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या रक्षा विमानन या सेना विमानन या नौसेना विमानन या अर्ध सैनिक बलों या कानूनी संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13क (रु. 1,31,100/- - 2,16,600/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (रु. 1,18,500/- - 2,14,100/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएँ और अनुभव हो:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैमानिकी या इलेक्ट्रॉनिक और संचार में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में अथवा यांत्रिकी या विद्युत इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री; और

(ii) सिविल या रक्षा रजिस्ट्रीकृत वायुयान की आकस्मिक घटनाओं या गंभीर घटनाओं या दुर्घटनाओं के अन्वेषण में, कम से कम चार वर्ष का अनुभव सहित उड़ानयोग्यता या विमानन संरक्षा या हवाई यातायात नियंत्रण में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो; या

जिसके पास विमानन क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव सहित प्रशासन या वित्त या प्रबंधन में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो;

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निदेशक	02(2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	स्तर 13 (रुपए 123100-215900)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या रक्षा विमानन या सेना विमानन या नौसेना विमानन या अर्ध सैनिक बलों या कानूनी संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) ऐसे रक्षा कार्मिक जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12क (रु. 1,16,700/- - 2,10,700/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष सेवा की हो; या	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रु. 78,800/- - 2,09,200/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएँ और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैमानिकी या इलेक्ट्रॉनिक और संचार में इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में अथवा यांत्रिकी या विद्युत इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ii) जिसके पास सिविल या रक्षा रजिस्ट्रीकृत वायुयान की आकस्मिक घटनाओं या गंभीर घटनाओं या दुर्घटनाओं के अन्वेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव सहित उड्डयन योग्यता या विमानन संरक्षा या हवाई यातायात नियंत्रण में कम से कम बारह वर्ष का अनुभव हो; टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
3. उप निदेशक	04(2022)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, गैर- समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 12 (78800-209200 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या रक्षा विमानन या सेना विमानन या नौसेना विमानन या अर्ध सैनिक बलों या कानूनी संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (रु. 67,700/- - 2,09,200/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएँ और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैमानिकी या इलेक्ट्रॉनिक और संचार में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में अथवा यांत्रिकी या विद्युत इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ii) जिनके पास सिविल या रक्षा रजिस्ट्रीकृत वायुयान की आकस्मिक घटनाओं या गंभीर घटनाओं या दुर्घटनाओं के अन्वेषण में दो वर्ष का अनुभव सहित उड्डयन योग्यता या विमानन संरक्षा या हवाई यातायात नियंत्रण में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)
4. सहायक निदेशक	05(2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसूचित	स्तर 11 (रु. 67700-208700)
(5)	(6)	(7)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
(8)	(9)	(10)	

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
----------------	----------------	---

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या रक्षा विमानन या सेना विमानन या नौसेना विमानन या अर्ध सैनिक बलों या कानूनी संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रु. 56,100/- - 1,77,500/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएँ और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैमानिकी या इलेक्ट्रॉनिक और संचार में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में अथवा यांत्रिकी या विद्युत इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ii) जिनके पास सिविल या रक्षा रजिस्ट्रीकृत वायुयान की आकस्मिक घटनाओं या गंभीर घटनाओं या दुर्घटनाओं के अन्वेषण में एक वर्ष का अनुभव सहित उड्डयन योग्यता या विमानन संरक्षा या हवाई यातायात नियंत्रण में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सुरक्षा अन्वेषण अधिकारी	05 (2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	स्तर 10 (56100-177500 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या रक्षा विमानन या सेना विमानन या नौसेना विमानन या अर्ध सैनिक बलों या कानूनी संगठनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (रु. 53,100/- - 1,67,200/-) या स्तर 8 (रु. 47,600/- - 1,51,100/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैमानिकी या इलेक्ट्रॉनिक और संचार में इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में अथवा यांत्रिकी या विद्युत इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ii) जिनके पास सिविल या रक्षा रजिस्ट्रीकृत वायुयान की आकस्मिक घटनाओं या गंभीर घटनाओं या दुर्घटनाओं के अन्वेषण में कम से कम छह मास का अनुभव सहित उड्डयन योग्यता या विमानन संरक्षा या हवाई यातायात नियंत्रण में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत की अवधि, सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत (अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. A-75/6/2015-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(Aircraft Accident Investigation Bureau)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2022

G.S.R. 342(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General, Director, Deputy Director, Assistant Director and Safety Investigation Officer in the Aircraft Accident Investigation Bureau under the Ministry of Civil Aviation, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Aircraft Accident Investigation Bureau (Group ‘A’) Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.** – No Person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Director General - Aircraft Accident Investigation Bureau.	01(2022)* *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service Group, A Non Ministerial Gazetted	level 14 (Rs. 144200-218200)

Whether Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for Direct Recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Deputation (including short term contract).

In case of recruitment by Promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made:	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Defence Aviation or Army Aviation or Naval Aviation or Para Military Forces or Statutory Organisations or Universities or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 13A (Rs. 1,31,100/- - 2,16,600/-) or equivalent in the parent cadre or Department;	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 13 (Rs. 1,18,500/- - 2,14,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Engineering or Technology in Aeronautical or Electronics and Communication or Mechanical or Electrical Engineering or Masters Degree in Science in Physics from a recognised university or institute; and (ii) having at least fifteen years experience in the field of Airworthiness or Aviation Safety or Air Traffic Control including at least four years experience in the investigation of incidents or serious incidents or accidents on Civil or Defence registered aircraft; or having at least fifteen years experience in Administration or Finance or Management including three years experience in aviation sector; Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Director.	02(2022)* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group, A Non Ministerial Gazetted.	level 13 (Rs. 123100- 215900)	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Deputation (including Short Term Contract)

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Defence Aviation or Army Aviation or Naval Aviation or Para Military Forces or statutory organisations or Universities or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(ii) Defence personnel with four years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 12A (Rs. 1,16,700/- - 2,10,700/-) or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 12 (Rs. 78,800/- - 2,09,200/-) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Engineering or Technology in Aeronautical or Electronics and Communication or Mechanical or Electrical Engineering or Masters Degree in Science in Physics from a recognised university or institute; and (ii) having at least twelve years experience in the field of Airworthiness or Aviation Safety or Air Traffic Control including at least three years experience in the investigation of incidents or serious incidents or accidents on Civil or Defence registered aircraft. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Director.	04(2022)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group, A Non Ministerial Gazetted.	level 12 (Rs. 78800-209200)	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Deputation (including Short Term Contract)

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Defence Aviation or Army Aviation or Naval Aviation or Para Military Forces or statutory organisations or Universities or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 11 (Rs. 67,700/- - 2,09,200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Engineering or Technology in Aeronautical or Electronics and Communication or Mechanical or Electrical Engineering or	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

Masters Degree in Science in Physics from a recognised university or institute; (ii) having at least ten years experience in the field of Airworthiness or Aviation Safety or Air Traffic Control including at least two years experience in the investigation of incidents or serious incidents or accidents on Civil or Defence registered aircraft. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Assistant Director.	05(2022)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group, A Non Ministerial Gazetted.	level 11 (Rs. 67700-208700)

(5)	(6)	(7)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Deputation (including Short Term Contact)

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Defence Aviation or Army Aviation or Naval Aviation or Para Military Forces or statutory organisations or Universities or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 10 (Rs. 56,100/- - 1,77,500/-) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Engineering or Technology in Aeronautical or Electronics and Communication or Mechanical or Electrical Engineering or Masters Degree in Science in Physics from a recognised university or institute; (ii) having at least five years experience in the field of Airworthiness or Aviation Safety or Air Traffic Control including at least one year experience in the investigation of incidents or serious incidents or accidents on Civil or Defence registered aircraft. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Safety Investigation Officer.	05 (2022)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-ministerial	level 10 (Rs. 56100-177500)	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.
----------------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Deputation (including Short Term Contact)

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Defence Aviation or Army Aviation or Naval Aviation or Para Military Forces or statutory organisations or Universities or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 (Rs. 53,100/- - 1,67,800/-) or level-8 (Rs. 47,600/- - 1,51,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Engineering or Technology in Aeronautical or Electronics and Communication or Mechanical or Electrical Engineering or Masters Degree in Science in Physics from a recognised university or institute; and (ii) having at least two years experience in the field of Airworthiness or Aviation Safety or Air Traffic Control including at least six months experience in the investigation of incidents or serious incidents or accidents on Civil or Defence registered aircraft. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-75/6/2015-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.